कार्यालय संचालक, आदिम जाति कल्याण मध्यप्रदेश

क्रमांक/ शिक्षा भोपाल, दिनांक 22-11-82

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल

विषयः—चार पुनरध्ययन प्रशिक्षण केन्द्रों को बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों में परिवर्तित करना, नवीन मद प्रस्ताव वर्ष 1983-84.

विभाग द्वारा अगस्त 1964 से प्रदेश के पश्चिमी, मध्य, दक्षिणी तथा पूर्वी आदिवासी क्षेत्र में क्रमशः बड़वानी, जिला खरगौन, सिझौरा जिला मण्डला बस्तर, जिला बस्तर एवं जशपुरनगर, जिला रायगढ़ में चार पुनरध्ययन केन्द्र संचालित हैं. इसके लिये प्रति वर्ष बजट में करीब 2,60,000/- का आयोजेनेत्तर मद में वित्तीय प्रावधान किया जा रहा है. इन प्रशिक्षण केन्द्रों में आदिवासी क्षेत्रों में संचालित विभाग को प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कार्यरत सहायक शिक्षकों को आदिवासी संस्कृति, सामाजिक आर्थिक व्यवहार तथा आदिवासी बोलियों में तीन माह का प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है. विगत 18 वर्षों की प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति निरंतर कम होती जा रही है तथा यह अनुभव किया गया है कि प्रशिक्षण में शिक्षकों की रुचि नहीं है. इसका मूल कारण यह प्रतीत होता है कि इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को कोई व्यावसायिक लाभ नहीं मिल पाता है जिसके फलस्वरूप वे इस प्रशिक्षण में उपस्थित होने से कतराते रहे हैं. अतएव ऐसी स्थिति निर्मित हो गयी है कि इन केन्द्रों की प्रशिक्षण व्यवस्था में आगे परिवर्तन किया जाय.

विभाग द्वारा संचालित, 13,997 प्राथमिक शाला एवं 2516 माध्यमिक शालाओं में कार्यरत लगभग 25,000 सहायक शिक्षकों में से करीब 7174 शिक्षक अप्रशिक्षित हैं. राज्य शासन का यह मान्य सिद्धांत है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्यापन का कार्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा कराया जावे. आदिवासी क्षेत्रों में अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहुतायत होने के फलस्वरूप अध्यापन कार्य की गुणवत्ता में आशातीत सफलता नहीं मिल पाई है. शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों में पूर्व के अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य किया जाता है तथा नव नियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षित नहीं किया जाता है. आदिम जाति कल्याण विभाग की शालाओं में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है. इसके फलस्वरूप इन शिक्षकों को जो कि पूर्व से अप्रशिक्षित हैं ये पिछले कई वर्षों में निरंतर अप्रशिक्षित अवस्था में चले आ रहे हैं. आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा केवल एक ही बुनियादी प्रशिक्षण संस्था कांकेर, जिला बस्तर में संचालित किया जा रहा है. जिसमें 100 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है. इस संस्था द्वारा 7174 शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने में एक लंबी अवधि करीब 70 वर्ष लगेंगे. इस समस्या के साथ एक और समस्या सन्निहित है एवं वह यह है कि आदिवासी कल्याण विभाग के तृतीय श्रेणी अलिपिकीय सेवा भरती नियम में यह प्रतिबंध है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को उच्च श्रेणी शिक्षकों के पद पर पदोन्नति नहीं दी जायेगी. इसके फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा प्रति वर्ष इस प्रतिबंध में शिथिलता प्रदान की जाती रही है, ताकि वरिष्ठ सहायक शिक्षकों को कनिष्ठ सहायक शिक्षकों की अपेक्षा पदोन्नति का लाभ मिल सके. किन्तु प्रतिबंध में शिथिलता प्रदान करने से समस्या का हल नहीं हो पा रहा है एवं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षण की गुणवत्ता में निरंतर कमी आती जा रही है. इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो गया है कि आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा इन अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाय.

उपर्युक्त के अतिरिक्त आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिम जाति अंचलों में आश्रम एवं छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है तथा इन संस्थाओं में अधीक्षक/अधीक्षकाओं के पद पर शिक्षकों को पदस्थ किया जाता है. यह अनुभव किया गया है कि इन अधीक्षक अधीक्षिकाओं को लेखा तथा छात्रावास प्रबंध का ज्ञान नहीं होने के फलस्वरूप छात्रावास/आश्रमों का संचालन एवं उस पर नियंत्रण व्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रहा है. इस अव्यवस्था के फलस्वरूप कई बार अनेक समस्याएं उपस्थित होती हैं. अतएव यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सहायक शिक्षकों को आश्रम तथा छात्रावास के लेखा-जोखा नियम, नियंत्रण एवं संचालन कार्य विधि के संबंध में प्रशिक्षिण दिया जाय.

उपर्युक्त तीन समस्याओं के निदान के रूप में यह प्रस्तावित किया जाता है कि चारों पुनरध्ययन प्रशिक्षण केन्द्रों में पूर्व में ही दिये जा रहे प्रशिक्षण के अतिरिक्त बुनियादी प्रशिक्षण छात्रावास का लेखा-जोखा नियम नियंत्रण एवं संचालन कार्य विधि का भी प्रशिक्षण दिया जाय. इस प्रशिक्षण का यह मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षकों को आदिवासी क्षेत्रों तथा आदिवासी संस्कृति उनकी व्यवस्थाओं, समस्याओं इत्यादि के समुचित जानकारी प्रदान की जाय तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाकर आश्रम एवं छात्रावास का लेखा-जोखा नियम, नियंत्रण एवं संचालित कार्य विधि में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाय.

प्रशिक्षण के लिये प्रति वर्ष 100 शिक्षकों को प्रवेश दिया जाएगा. इससे दो वर्ष के बुनियादी पाठ्यक्रम में 200 शिक्षकों के प्रवेश की व्यवस्था होगी तथा प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष होगी. पुनरध्ययन प्रशिक्षण केन्द्र तथा छात्रावास संचालन में प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की होगी एवं शिक्षकों का यह प्रथम वर्ष होगा एवं तीनों प्रशिक्षणों के लिये इन प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्यापन हेतु निम्नांकित विषय होंगे :—

(अ) पुनरध्ययन प्रशिक्षण केन्द्र :

1. आदिवासी संस्कृति सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था, मनोविज्ञान आदि समस्याएं.
2. आदिवासी विकास को आवश्यक संवैधानिक प्रावधान तथा आदिवासियों हेतु समय-समय पर किये गये विशेष वैधानिक प्रावधान.
3. आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु किये जा रहे विभिन्न प्रयास.
4. क्षेत्रीय आदिवासी बोलियों का अध्यापन.

(ब) बुनियादी प्रशिक्षण :

1. शिक्षा मनोविज्ञान.
2. शिक्षा सिद्वांत एवं समान शिक्षण पद्धतियां.
3. माध्यमिक स्तर के गणित एवं विज्ञान तथा उनकी शिक्षण की विशिष्ठ पद्धतियां.
4. भाषा शिक्षण उसका अध्यापन विशिष्ट पद्धतियां एवं भाषा का विस्तार.
5. सामाजिक अध्यापन और उसकी शिक्षण की विशिष्ट पद्धतियां.
6. शाला प्रबंध एवं सामुदायिक विकास.
7. शिक्षण की समस्याएं.
8. स्वास्थ्य शिक्षा.
9. संस्कृत/अंग्रेजी और उनकी विशिष्ट शिक्षण पद्धतियां.
10. दो क्राफ्ट/कृषि/बागवानी/कारपेन्टरों/बुनाई कताई/गृहणी शिक्षा में प्रशिक्षण.
11. उपर्युक्त सैद्धान्तिक विषयों के साथ प्रयोगिक शिक्षा भी स्थानीय एवं आस-पास के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में संचालित की जाएगी. विज्ञान विषयों की प्रायोगिक शिक्षा हेतु प्रति केन्द्र में प्रयोगशाला की आवश्यकता होगी.

1. रोकड़ पंजी, स्टाक पंजी एवं अन्य आवश्यक पंजियों के रख-रखाव पर प्रशिक्षण एवं अभ्यास (इसका प्रशिक्षण जिला मुख्यालय पर कनिष्ठ लेखाधिकारी अथवा जिला कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी वरिष्ठ लेखापाल द्वारा दिया जाएगा.), जिसके लिये उन्हें क्रमशः कनिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखापाल को रुपये 20, कोषाधिकारी को रुपये 40 एवं उपकोषाधिकारी को रुपये 30 प्रति व्याख्यान मानदेय भत्ता दिया जाएगा.

2. **छात्रावास व्यवस्था एवं स्वास्थ्य शिक्षा :**

छात्रावास नियमों का अध्ययन, पीने के पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वातावरण का निर्माण, साफ सफाई, दैनिक गतिविधियों का संचालन आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

3. **विद्यार्थीयों को नियमित अध्यापन :**

अधीक्षक/अधीक्षकाओं द्वारा प्रतिदिन अध्यापन एवं उसकी व्यवस्था, खेलकूद का आयोजन, समितियों का गठन आदि विषयों पर प्रशिक्षिण.

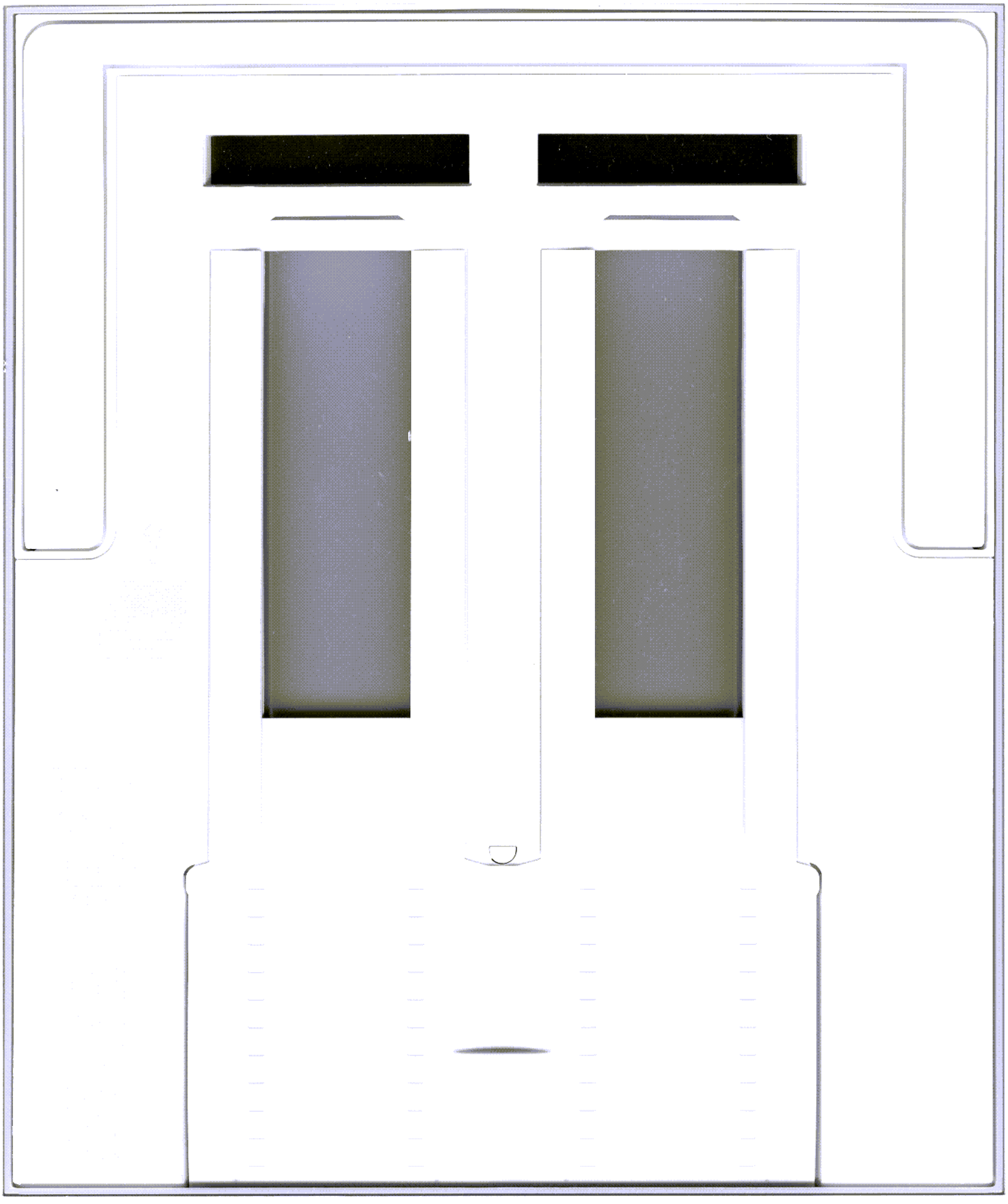

3. **अनुशासन एवं नैतिक शिक्षा :**

मानवीय जीवन के प्रति क्षेत्र में अनुशासन एवं समयबद्धता का महत्व छात्रावास में अनुशासित वातावरण का निर्माण तथा चरित्र आचरण एवं जीवन में मानवीय मूल्यों के निर्माण पर प्रशिक्षण.

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में निम्नांकित अमला उपलब्ध कराया जाएगा :—

1.	प्राचार्य	एक	680-1150
2.	उप प्राचार्य एवं छात्रावास अधीक्षक	1	425-900
3.	व्याख्याता	9	350-600
4.	केरियर मास्टर	1	350-600
5.	उच्च श्रेणी शिक्षक	9	246-460
6.	क्राफ्ट टीचर	2	246-460
7.	कला सहायक (आदिवासी बोली)	2	246-460
8.	पी. टी. आई.	1	246-460
9.	म्यूजिक टीचर	1	246-460
10.	म्यूजिक टीचर	1	169-300
11.	प्रयोग शाला सहायक	दो	169-300
12.	लेखापाल	1	205-375
13.	उच्च श्रेणी लिपिक	2	195-330
14.	निम्न श्रेणी लिपिक	2	169-300
15.	आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, चौकीदार, दो रसोइया, दो पानीवाला, एक फर्राश.	6	जिलाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित दर

बुनियादी प्रशिक्षण विषयों में अध्यापन के लिये उल्लेखित नौ व्याख्याताओं में से दो व्याख्याता भाषा विषयों हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत, तीन व्याख्याता कला विषयों के, तीन व्याख्याता विज्ञान विषयों के तथा एक व्याख्याता वाणिज्य विषय का होगा. इसके अनुरूप नौ उच्च श्रेणी शिक्षक भी रहेंगे. कैरियर मास्टर द्वारा मनोविज्ञान विषय का अध्यापन कार्य किया जाएगा. सर्व व्याख्याता कैरियर मास्टर एवं उच्च श्रेणी शिक्षकों को स्नातकोत्तर तथा बी.एड. एवं एम.एड. होना अनिवार्य होगा. उपर्युक्त उल्लेखित चारों केन्द्रों को बुनियादी प्रशिक्षण संस्था में परिवर्तन करने के लिये अतिरिक्त अमले की आवश्यकता होगी. निम्न सारणी के कॉलम नम्बर 6 में उल्लेखित पदों का निर्माण करने की आवश्यकता होगी :—

क्र.	पद	वेतनमान	कुल आवश्यक पदों की संख्या	स्वीकृत पद	अतिरिक्त पद जो निर्मित होंगे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्राचार्य	680-1150	4	-	4
2.	उप प्राचार्य एवं छात्रावास अधीक्षक	425-900	4	4	-
3.	व्याख्याता	350-600	36	16	20
4.	कैरियर मास्टर	350-600	4	-	4
5.	उच्च श्रेणी शिक्षक	246-460	38	-	36
6.	क्राफ्ट टीचर	246-460	8	-	8
7.	कला सहायक (आदिवासी बोली)	246-460	8	8	-
8.	पी. टी. आई.	246-460	4	2	2
9.	म्यूजिक टीचर	169-300	8	4	4
10.	प्रयोग शाला सहायक	169-300	8	-	8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	लेखापाल	205–375	4	–	4
12.	उच्च श्रेणी लिपिक	195–330	8	4	4
13.	निम्न श्रेणी लिपिक	169–300	8	4	4
14.	भृत्य	125–150	20	10	10
15.	काण्टिन जेण्ट कर्मचारी		24	15	9
		योग . .	184	67	117

उपर्युक्त पुनरध्ययन केन्द्रों में बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों में परिवर्तित किये जाने के लिये निम्नांकित वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता है.

1.	अधिकारियों का वेतन	48,000
2.	कर्मचारियों का वेतन	3,84,000
3.	मंहगाई भत्ता	93,000
4.	अतिरिक्त मंहगाई भत्ता	3,88,700
5.	अंतिरम राहत	94,000
6.	यात्रा व्यय	20,000
7.	चिकित्सा व्यय	6,000
8.	अवकाश यात्रा सुविधा	6,000
	योग . .	14,39,700

कंटिन जेन्सी :

1.	कर्मचारियों का वेतन	86,400
2.	प्रयोगशाला हेतु सामग्री	16,000
3.	ग्रंथालय हेतु पुस्तकें	20,000
4.	क्राफ्ट सामग्री	16,000
5.	फर्नीचर	60,000
6.	छात्रावास हेतु बर्तन	20,000
7.	अध्यापन सामग्री	12,000
	योग . .	2,30,400
		16,70,100
	पुर्दिशा निर्देश प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये प्रावधान	2,60,000
	महायोग . .	19,30,100

उपर्युक्त कार्यक्रम पर होने वाला [illegible] 41–थ–277 शिक्षा, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना लेखा शीर्ष में विकलित किया जाना प्रस्तावित है. अतः निवेदन है कि उपर्युक्त कार्यक्रम को नवीन मद में मान्य किया जाकर राज्य शासन की स्वीकृति प्रसारित करने का कष्ट करें. यदि राज्य शासन द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव मान्य किया जाता है तो मांग संख्या 33 मुख्यशीर्ष 288 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–ग–अनुसूचित जातियों–अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण निदेशन व प्रशासन 3 पुनर्दिशा निर्देशन प्रशिक्षण केन्द्र मद के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रुपये 2.60 लाख को विलोपित किया जाकर उपर्युक्त उल्लेखित व्यय में शामिल किया जाना तथा ऊपर सारणी के स्तम्भ पांच में उल्लेखित पद जो कि चार पुनरध्ययन प्रशिक्षण केन्द्र पूर्व से ही स्वीकृत हैं, को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत मान्य किया जाना प्रस्तावित किया जाता है.

हस्ता./–
संयुक्त संचालक,
वास्ते संचालक, आदिमजाति कल्याण,
मध्यप्रदेश.

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

आदेश

भोपाल, दिनांक 5-5-95.

क्रमांक एफ-12/23/91/2/25.—इस विभाग के समसंख्या आदेश दिनांक 22-2-95 द्वारा ''जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)'' स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांरित किया गया था, किन्तु विभाग द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत नहीं था, वरन् पुनरध्ययन प्रशिक्षण केन्द्र संचालित था, जिसे बाद में बी.टी.आई. का कार्य दिया गया था.

2. अतः विभागीय आदेश दिनांक 22-2-95 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

''जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)'' के स्थान पर ''पुनरध्ययन प्रशिक्षण केन्द्र जिसे बाद में बी. टी. आई. का कार्य दिया गया'' पढ़ा जाये.

3. हस्तांतरण की शेष शर्ते पूर्व में प्रसारित आदेश के अनुसार ही रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता./-

(आर. एस. श्रीवास्तव)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

आदिम जाति कल्याण विभाग.

पृ.क्र.-एफ-12-23/91/2/25 भोपाल, दिनांक5-5-95.

प्रतिलिपि :—

(1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

(2) आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

(3) संचालक, राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ.

(4) आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर.

(5) जिलाध्यक्ष, जिला बस्तर, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

सही/-

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

आदिम जाति कल्याण विभाग.